न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/130/2019

रमेश चंद निवासी ए–32 जवाहर नगर, भरतपुर

बनाम

तहसीलदार नदबई।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 20.12.2019**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री रमेश चंद निवासी ए–32 जवाहर नगर, भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 24.09.19 के द्वारा तहसीलदार नदबई से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार नदबई द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/995 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा तहसीलदार नदबई से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में तहसीलदार नदबई से उनके पत्र क्रमांक/5236 दिनांक 11.12..2019 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार नदबई ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार नदबई से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार नदबई से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/5236 दिनांक 11.12.2019 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नदबई ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.09.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चार बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी। जिनमें से बिन्दु संख्या एक व दो की सूचना प्रार्थी को भिजवादी गई हैं। बिन्दु संख्या 3 व 4 की सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपीलार्थी को नियमानुसार सूचना शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया था, किन्तु अपीलार्थी द्वारा इस बाबत् न तो कार्यालय में आकर सम्पर्क किया और न कोई पत्राचार ही किया, इस बाबत प्रार्थी को पत्रांक 5237 दिनांक 11.12.2019 से भी सूचित किया गया है। जबाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना उपलब्ध करा दी गई हैं। बिन्दु संख्या 3 व 4 की सूचना की बाबत् नियमानुसार सूचना शुल्क जमा कराये जाने हेतु लिखा गया है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं कराया गया है। अतः अपीलार्थी वांछित सूचना शुल्क जमा कराकर बिन्दु संख्या 3 व 4 की सूचना प्राप्त कर सकता है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार नदबई से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार नदबई को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2019.12.27 16:33:42 IST
Reason: SelfAttested